

## राजस्थान राजपत्र विशेषांक

## RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

## साधिकार प्रकाशित

**Published by Authority** 

माघ 18, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 07, 2022 Magha 18, Monday, Saka 1943- February 07, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-५) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 05, 2022

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

## संशोधन

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 7 एवं 9 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- "7. राज्य में कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान व वर या वधू के घर पर अधिकतम 250 व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाकर आयोजित किया जा सकेगा एवं आयोजक को इसकी पूर्व सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ eintimation: MARRIAGE या 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी एवं उक्त आयोजन के आयोजक एवं विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा यह स्निश्चित करना होगा कि,-
  - (i) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी परन्त् यह कि बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा ;
  - (ii) उक्त समारोह के आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के डबल-डोज वैक्सीनेशन, सामाजिक दूरी, फेस मास्क पहनना, नो मॉस्क-नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित की जावेगी;

- (iii) विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ;
- (iv) विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्रॉफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करावेगा।
- 9. राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अन्मित होगी एवं उक्त आयोजनों के आयोजककर्ता को आयोजन से पूर्व गये ऑनलाईन पोर्टल इसकी सूचना DoIT दवारा बनाये वेब http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी तथा उक्त आयोजनों के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मॉस्क-नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग व स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना स्निश्चित करेगा। "

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020] राज्यपाल के आदेश से, डॉ. सौम्या झा, संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.